न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3174/III/2015 विरूद्व आदेश दिनांक 18.03.2015 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर–प्रकरण कमांक 84 अ–19/2004–05 निगरानी

शॅकर सिंह पुत्र धनु ढीमर
ग्राम मैंदवारा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
विरूद्व
1– रामसिंह पुत्र फेरन सिंह
ग्राम मैंदवारा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2– म.प्र.शासन

——— आवेदक

———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

(अनावेदक क्र–1 अनुपस्थित)

(अनावेदक क्र–2 की ओर से पेनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 31 –8–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ–19/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–3–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार लिधोरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 72 अ 19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20.11.1985 से ग्राम मेंदवारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 2197 रकबा 1.484 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अनावेदक कमांक–1 के नाम व्यस्थापित की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 75/88–89 एंव 48 बी 121/1989–90 में दिनांक 16–5–90 को इस आशय का आदेश पारित किया कि म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अपील के श्रवणाधिकार न होने से प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भिजवाया जाय। अनुविभागीय अधिकारी जतारा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 216/1989–90 पंजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 04–08–1990 पारित किया एंव अनावेदक कमांक–1 को पटटा प्राप्ति हेतु अपात्र होते हुये भी भूमि व्यवस्थापन किया जाना पाये जाने के कारण नायव तहसीलदार लिधोरा जिला टीकमगढ़ का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20.11.1985 निरस्त कर दिया एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि यदि आवेदक व्यवस्थापन हेतु पात्र पाया जाय, तो पात्रता की जांच कर उसे पटटा प्रदान किया जावे।

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.1985 के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 20.11.85 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ, जिस पर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने निगरानी प्रकरण कमांक 65 /1997–98 दर्ज किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु आहुत किया। कलेक्टर टीकमगढ़ ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16.12.2003 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक–1 को भूमिस्वामी दर्ज किये

जाने के आदेष दिये। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्र0क्रमांक 84 अ 19/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2008 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक क्र–2 के अभिभाषकों के तर्क सुने । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि रामसिंह पुत्र फेरन सिंह अनावेदक क्र–1 व्दारा आवेदन करने पर नायव तहसीलदार लिधोरा ने प्रकरण क्रमांक 72 अ 19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20.11.1985 से वादग्रस्त भूमि म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विषेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यस्थापित की है और यह भी सत्य है कि इस आदेश को अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 216 स्वमेव निगरानी/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 से निरस्त करते हुये भूमि पुनः शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये है। अपर कलेक्टर के इस आदश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 4–8–90 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित हुआ है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के वाद पुनः निर्णय लिया जावे और पुनः सुनवाई के निर्देश अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को दिये गये हैं। इसके वाद कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में निगरानी क्रमांक 65 /1997–98 दर्ज की जाकर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16.12.2003 से वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक–1 को भूमिस्वामी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं और इस आदेश को आयुक्त, सागर संभाग,सागर ने प्रकरण क्रमांक 84 अ 19/04–05 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2008 से स्थिर रखा है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20.11.85 को अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 4–8–90 से निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दे दिये थे, तब प्रकरण में ऐसी कौनसी परिस्थितियॉ उपजीं कि वादग्रस्त भूमि पुनः

अनावेदक क–2 के नाम दर्ज करना लाजमी हुआ ? कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16–12–03 के पद 2 में निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक क–2 व्दारा वर्ष 1984 के कब्जे की खसरा की प्रति एंव 2 अक्टूवर 1984 के कब्जे की सूची प्रस्तुत की जिसमें अन्य कृषकों के साथ अनावेदक का भी प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पाया गया है, जबकि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 216 / 89–90 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 में निष्कर्ष दिया है कि :–

> **" ग्राम मेंदवारा की ही कुछ अन्य भूमियों जिनके कब्जे को लेकर ग्रामवासियों तथा पटटाग्रहीताओं के मध्य गंभीर झगढ़ा हुआ और दिनांक 25.6.90 को 4 व्यक्तियों का कत्ल हुआ है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नायव तहसीलदार व्दारा प्रदान किये गये पटटे की विश्वसनीयता की जांच के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा तहसीलदार जतारा को आदेश कमांक 831 / स्टोनो / 90 में दिनांक 27–6–1990 व्दारा आदेशित किया गया। तहसीलदार जतारा व्दारा दिनांक 7–7–90 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने स्थल की जांच करने के वाद यह पाया कि गैरनिगरानीकार रामसिंह तनय फेरन सिंह निवासी मेंदवारा का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार जतारा व्दारा यह भी निष्कर्ष निकाला कि रनमत सिंह, रामसिंह तनय फेरन सिंह के नाम ग्राम पचघरा में 4–90 एकड़ भूमि है इसलिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत पटटा प्राप्त करने के लिये पात्रता नहीं रखते हैं।"**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक को भूमि व्यवस्थापित कराने की कतई पात्रता नहीं है क्योंकि उसके एंव उसके भाई रनमतसिंह के नाम ग्राम पचघरा में पूर्व से ही 4–90 हैक्टर भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क–1 का कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा है इसके वाद भी कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 65 / 1997–98 आदेश दिनांक 16.12.2003 से आवेदक 2–10–84 से कब्जा मानना एंव अनावेदक क–1 के अपात्र होते हुये भी वादग्रस्त भूमि का त्रृटिपूर्ण ढंग से व्यवस्थापन करना पाया गया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2003 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ–19 / 2004–05 निगरानी में आदेश दिनांक 18–3–2008 पारित

करते समय उपरोक्त वर्णित तथ्यों को जानबूझकर नजरन्दाज करते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16–12–03 को स्थिर रखने की त्रृटि की गई है जिसके कारण आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ–19/ 2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–3–2008 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 65 /1997–98 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2003 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 65 /1997–98 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2003 एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ–19/ 2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–3–2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 216/89–90 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर